राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 896वी बैठक दिनांक 17.09.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 896वी बैठक दिनांक 17.09.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	11044/2023	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।
2.	10040/2023	1(a)	इन्दौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
3.	8479/2021	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	11217/2023	1(a)	बुरहानपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
5.	11322/2023	1(a)	कटनी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
6.	P-2/1319/2025	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।
7.	P-2/279/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
8.	P-2/305/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
9.	P-2/455/2024	1(a)	राजगढ़	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
10.	10815/2023	1(a)	सतना	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 896वी बैठक दिनांक 17.09.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **प्रकरण क्र.11044/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स चेतक स्टोन क्रेशर, श्री संदीप सिंह, पार्टनर निवासी कोटदा बुजुर्ग, शुभ हेल्थ सेन्टर – 1, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.95 हेक्टेयर, खसरा 356/2, ग्राम – कोटडा बुजुर्ग, तह. गरोठ, जिला मन्दसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 859 वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"..........**SEAC की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में की गई अनुशंसा अनुसार** *खदान क्षेत्र में स्थित 08 पेड काटे जायेगें एवं काटे जाने वाले वृक्षो के एवज में 80 पौधे के लगाये जायेगे।....*"

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के आम के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के आदेश कमांक 887 दिनांक 19.05.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **परियोनजा प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज क्षेत्र में मौजूद पेड़ों के स्थान 0.40 हे. को गैर खनन के रूप में छोड़ा जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

2. प्रकरण क्र. 10040/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रेम शर्मा आत्मज श्री मुंशीराम शर्मा, निवासी 42, मधुबन कॉलोनी, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सैमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.38 हेक्टेयर, खसरा 888/4/4, ग्राम हरसोल, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रश्नाधीन प्रकरण SEAC की 664वीं बैठक दिनांक 28.07.2023 को विचारण में लिया गया था। इसके बाद प्रकरण SEIAA की 801वीं बैठक दिनांक 17.08.2023 को विचारण में लिया गया।

SEIAA ने इस बैठक में निर्णय लिया था कि "परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान वर्जन पहाड़ी पर स्वीकृत है एवं उक्त पहाड़ी पर मनरेगा योजना के तहत वाटर शेड के कार्य (कटूंर ट्रेंचेस) परिलक्षित हैं। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर, इन्दौर से 15 दिवस स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त वर्जन पहाड़ी जिस पर मनरेगा योजना के तहत वाटर शेड के कार्य (कटूंर ट्रेंचेस) किये गये है पर खनन संक्रियाओं हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना क्या उचित है?

इसके बाद प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की 818वीं बैठक दिनांक 29.11.2023 को पुनः विचारण में लिया गया। SEIAA की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला खनिज अधिकारी, इंदौर के पत्र क्र. 2016 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है।

प्रकरण में जिला कलेक्टर, इंदौर से क्षेत्र की अद्यतन स्थिती के परिदृश्य खनन संक्रिया के दौरान समीपस्थ क्षेत्र के पर्यावरण सरंक्षण के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना उचित है अथवा नही के संबंध में स्पष्ट अभिमत चाहा गया था जो कि अप्राप्त है।

अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर से जिला स्तर पर स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। SEIAA की 846वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में पुनः प्रश्नाधीन प्रकरण पर विचार हुआ। इस बैठक में SEIAA ने निर्णय लिया कि " परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान वर्जन पहाड़ी पर स्वीकृत है एवं उक्त पहाड़ी पर मनरेगा योजना के तहत वाटर शेड के कार्य (कटूंर ट्रेंचेस) परिलक्षित हैं। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर, इन्दौर से 15 दिवस स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त वर्जन पहाड़ी जिस पर मनरेगा योजना के तहत वाटर शेड के कार्य (कटूंर ट्रेंचेस) किये गये है पर खनन संक्रियाओं हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना क्या उचित है? SEIAA के पत्र क्र. 1206/SEIAA/2023 दिनांक 04.09.2023, पत्र क्र. 2310/SEIAA/2023 दिनांक 18.12.2023 द्वारा भी कलेक्टर, इंदौर से जानकारी चाही गई थी। SEIAA के पत्र क्र. 656/SEIAA/15.05.2024 द्वारा सदस्य सचिव, SEAC को अवगत कराया गया था कि '

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 896वी बैठक दिनांक 17.09.2025 का कार्यवाही विवरण

''प्रकरण में SEAC की 664वीं बैठक दिनांक 28.07.2023 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 846वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान वर्जन पहाड़ी पर स्वीकृत है एवं उक्त पहाड़ी पर मनरेगा योजना के तहत वाटर शेड के कार्य (कटूंर ट्रेंचेस) परिलक्षित हैं। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर, इन्दौर से 15 दिवस स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त वर्जन पहाड़ी जिस पर मनरेगा योजना के तहत वाटर शेड के कार्य (कटूंर ट्रेंचेस) किये गये है पर खनन संक्रियाओं हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना क्या उचित है? तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इंदौर का पत्र क्र. 592 दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में लेख किया है कि ''उक्त पहाडी क्षेत्र पर वर्ष 2019–20 में मनरेगा योजना से संकण पोड एवं कंटूर ट्रैच का निर्माण तथा सामुदायिक वृक्षारोपण से संबंधित कार्य कराये गये है, एवं मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्र की पहाड़ी को ग्राम की धरोहर होना बताते हुए उक्त पहाड़ी में उत्खनि पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में आपत्ति व्यक्त करते हुए लीज निरस्त किये जाने हेतू निवेदन किया गया। पर्यावरण स्वीकृति प्रदाय हेतू राजस्व एवं खनिज दोनो ही विभाग दक्ष (विशेषज्ञ) विभाग नहीं है एव पर्यावरण स्वीकृति प्रदाय के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतू शासन द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) कार्यालय को ही अधिकृत किया गया है

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्वसंमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इंदौर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।''

कलेक्टर (खनिज शाखा) इंदौर द्वारा अपने पत्र क्र. 592/खनिज/2024 दिनांक 27.03.2024 के द्वारा SEIAA को पत्र भेजकर अवगत कराया गया कि ''

यह कि, ग्राम हरसोला की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 888/4/4 कुल रकबा 11.354 हे0 भूमि शासकीय चारागाह मद की भूमि है जिसका संपूर्ण भाग पहाड़ी से संबंधित है, जिसके अंश भाग रकबा 3.380 हे0 क्षेत्र पर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा पिता श्री मुंशीराम शर्मा निवासी 42, मधुबन कालोनी इंदौर के पक्ष में क्रेशर आधारित पत्थर खनिज उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंद्रा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

यह कि, उक्त पहाड़ी स्थानीय स्तर पर भमती पहाडी के नाम से पहचान मे है तथा उक्त पहाड़ी के शिखर भाग पर जल संधारण किये जाने का गढ्ढा व पाल की संरचना बनी हुई है। मौके पर ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त पहाड़ी क्षेत्र पर वर्ष 2019–20 में मनरेगा योजना से संकण पोंड एवं कंटूर ट्रेंच का निर्माण तथा सामुदायिक वृक्षारोपण से संबंधित कार्य कराये गये है। शिखर भाग में स्थित तालाब से उक्त पहाड़ी पर किये गये सामुदायिक वृक्षारोपण मे सिंचाई इत्यादि का कार्य किया जाना बताया गया है।

यह कि, उक्त पहाड़ी के अंश भाग पर श्री शर्मा के पक्ष में स्वीकृत पत्थर खनिज उत्खनिपट्टा तथा शिखर भाग पर स्थित उक्त पौंड के मध्य की दूरी का मिलान राजस्व अभिलेखो से कराये जाने पर उक्त दूरी 04 जरीब (लगभग 80 मीटर) होना पाई गई।

यह कि, मौके पर उपस्थित ग्रामीणो द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्र से संबंधित भमती पहाड़ी को ग्राम की धरोहर होना बताते हुए उक्त पहाड़ी में उत्खनि पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में आपत्ति व्यक्त करते हुए लीज स्वीकृत नही किये जाने/स्वीकृति की गई लीज को निरस्त किये जाने हेतू निवेदन किया गया।

यह कि, मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) कार्यालय द्वारा श्री शर्मा के पक्ष मे स्वीकृत उक्त उत्खनि पट्टा हेतू उक्त क्षेत्र की अद्यतन स्थिति के परिदृश्य खनन संक्रिया के दौरान समीपस्थ क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृत दिया जाना उचित है अथवा नही, के संबंध मे अभिमत चाहा गया है। इस संबंध मे उपरोक्त बिन्दू कमांक 01 लगायत 05 में अद्यतन स्थितियों का विवरण उल्लेखित है। पर्यावरण स्वीकृति प्रदाय हेतू राजस्व एवं खनिज दोनो ही विभाग दक्ष (विशेषज्ञ) विभाग नही है एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रदाय के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतू शासन द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) कार्यालय को ही अधिकृत किया गया है।

SEIAA द्वारा आज की बैठक में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि आवेदित क्षेत्र भमती पहाड़ी के नाम से पहचाना जाता है तथा उक्त पहाड़ी के शिखर भाग पर जल संधारण किये जाने के लिये सरंचना बनी हुई है। पहाड़ी क्षेत्र पर मनरेगा योजना के अंतर्गत जल सरंचना का कार्य भी किया गया है। शिखर भाग में स्थित तालाब से उक्त पहाड़ी पर किये गये सामुदायिक वृक्ष से सिंचाई आदि का कार्य किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा यह भी प्रश्नाधीन आवेदित क्षेत्र को भमती की पहाड़ी को ग्राम की धरोहर बताया है तथा उसमें उत्खनि पट्टा में खनन के कार्य की आपत्ति की है। ग्राम पंचायत द्वारा भी आवेदित स्थल पर वृक्षारोपण, कटूंर ट्रेंचेस निर्माण, तालाब निर्माण आदि का कार्य किया है।

अतः उर्पयुक्त परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय अनुमति की स्वीकृति नहीं दी जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन निरस्त किया जाता है।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. **Case No. 8479/2021** Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.70 ha. for production capacity of 19012 cum per annum, at Khasra No. 364/2, Village - Kanood Mirji, Tehsil - Ashta, Dist. Sehore (MP) by Shri Vishnu Patidar S/o Shri Dev Singh Patidar, Village - Kannod Mirji, Dist. Sehore, MP,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 784 वी बैठक दिनांक 09.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ खनन कार्य 3.70 हेक्टेयर पर ब्लास्टिंग के द्वारा किये जाने हेतु अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत की गई। जिस पर SEAC समिति द्वारा 696वी बैठक दिनांक 22.11.2023 में प्रकरण में विचार के दौरान पक्की सड़क से निर्धारित 200 मीटर छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है का उल्लेख किया गया जिस पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन ब्लास्टिंग की अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत किये जाने का लेख किया गया। **अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि पत्थर का उत्खनन बिना ब्लास्टिंग के किया जाना संभव नहीं है एवं सड़क से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने पर खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने के पूर्व परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

4. **प्रकरण क्र. 11217/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक सोलंकी आत्मज श्री देवीसिंह सोलंकी, निवासी – म.नं. 403, वार्ड नं. 11, बस स्टैण्ड़ के पास, ग्राम –धुलकोट, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.150 हेक्टेयर, खसरा 534, ग्राम – इटारिया, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745 वी बैठक दिनांक 30.04.2024 एवं 785वी बैठक दिनांक 15.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**ए**) सहित प्र्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण में 854वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान से आबादी 54 मीटर की दूरी पर परिलक्षित है एवं लीज क्षेत्र में कई पेड़ परिलक्षित है जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है साथ ही आवेदन के साथ संलग्न ग्राम पंचायत अनापत्ति भी काफी पुरानी है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार मकानों से निर्धारित 200 मीटर दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में नवीन ग्राम पंचायत का नवीन ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर व लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों के संबंध में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 785वी बैठक दिनांक 15.04.2025 में उक्त प्रकरण में SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में की गई अनुशंसा का यथावत रखने का निर्णय लेते हुए प्रकरण प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निर्णय लिया गया कि माननीय एनजीटी नई दिल्ली के ओए नंबर 304/2019 अनुसार खनन क्षेत्र से मानब बसाहट की निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. **प्रकरण क्र. 11322/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महालक्ष्मी माइन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री तिलक राज ग्रोवर, निवासी– वार्ड नं. 04, खलवारा बाजार, कैमूर, तहसील विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 22739 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा 2/1, एवं 2/2 पी, ग्राम – जाजागढ़, तहसील– बरही, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745 वी बैठक दिनांक 30.04.2024 एवं 785वी बैठक दिनांक 15.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**ए**) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण में 854वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 22 मीटर की दूरी पर एक पक्की सड़क परिलक्षित हो रही है एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 785वी बैठक दिनांक 15.04.2025 में उक्त प्रकरण में SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में की गई अनुशंसा का यथावत रखने का निर्णय लेते हुए प्रकरण प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निर्णय लिया गया कि माननीय एनजीटी नई दिल्ली के ओए नंबर 304/2019 अनुसार खनन क्षेत्र से पक्की सड़क की निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

6. **Case No P2/1319/2025** Prior Environment Clearance for Stone mine (Opencast Semi Mechanized Method) in an area of 1.00 ha. for production capacity of 12,000 Cubic Meter) (Gitti- 2,000 m3 & M-Sand -10,000 m3), at Khasra No. 6/1 & 6/2, Village – Kajrawan, Tehsil – Shahgarh, District- Sagar (M.P.) by M/s Shree Krishna Minerals, Shri Bharat Singh Yadav, R/o House No. 47, Village Kanikhedi Kalan, Post Baraj, Tehsil Shahgarh, Sagar (M.P.),

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 791 वी बैठक दिनांक 08.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 791वी बैठक दिनांक 08.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के आदेश क्रमांक 50 दिनांक 10.01.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.01.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तावित अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी होने के उपरांत से स्वमेव निरस्त मान्य होगी। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

7. **Case No. P2/279/2024**, Prior Environment Clearance for Guracha Sand Quarry in an area of 4.660 ha. for production capacity of 2000 Cum/Annum at Khasra No.: 583, Village- Guracha, Tehsil- Nagda, District- Ujjain (M.P.) by The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Authorized Person Shri Dinesh Sharma,Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**बी**) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC द्वारा 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 में परियोजना प्रस्तावक से " Project proponent to revise replenishment study based on minimum recent 03-year rainfall data." चाही गई थी किन्तु SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से 03 वर्ष की replenishment study डाटा प्राप्त किये बिना ही प्रकरण अनुशंसा कर प्रेषित किया गया।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक से 03 वर्ष का replenishment study डाटा 10 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

8. Case No. P2/305/2024, Prior Environment Clearance for Alote Jagir Sand Quarry in an area of 5.0 ha. for production capacity of 2,000 Cum/Annum at Khasra No.: 1,272, Village- Alote Jagir, Tehsil- Nagda, District- Ujjain (M.P.) by The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Authorized Person Shri Dinesh Sharma, Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**बी**) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC द्वारा 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 में परियोजना प्रस्तावक से " Project proponent to revise replenishment study based on minimum recent 03-year rainfall data." चाही गई थी किन्तु SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से 03 वर्ष की replenishment study डाटा प्राप्त किये बिना ही प्रकरण अनुशंसा कर प्रेषित किया गया।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक से 03 वर्ष का replenishment study **डाटा 10 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

9. **Case No. P2/455/2024** Prior Environment Clearance for Sand Quarry, in an area of 17.740 hectare, for production capacity of 26280 cum/year at Khasra No.- 1, Village - Chakrod, Tehsil - Pachore, District - Rajgarh (MP) by M/s The MP State Mining Corporation Limited, Authorized Person Shri Shashikant Tiwari, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**बी**) सहित प्र्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा से 03 वर्ष का replenishment study and rain fall डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक से 03 वर्ष का replenishment study and rain fall **डाटा 10 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

10. प्रकरण क्र. 10815/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राधाकृष्ण स्टोन वर्क्स, पार्टनर श्री सुधीर कुमार राय, निवासी– मैन रोड़ बठिया, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,21,877.5 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 594/1, 594/3, 597/2, 595/4, 645, 646, 648/3, 647, रकबा 3.914 हेक्टेयर, ग्राम बठिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 791 वी बैठक दिनांक 08.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 791वी बैठक दिनांक 08.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के आदेश क्रमांक 1646 दिनांक 18.08.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**